संख्या-148/2020/3006/22-2-2019-17(254)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 08 मई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाल पुत्र श्री बोधे निवासी जिला-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाल पुत्र श्री बोधे, जो मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली,वर्तमान निवासी-भीखीपुर, थाना-अटरिया, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल,तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149,436, 440,307,452 के अन्तर्गत चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19.06-2017 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल,तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरत, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दयाल पुत्र श्री बोधे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दयाल (बन्दी संख्या-36440) पुत्र श्री बोधे निवासी जिला-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी गयी** है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-148/2020/3006(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-148/2020/3006/22-2-2019-17(254)/2010

दिनांक 08 मई, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाल पुत्र श्री बोधे, जो मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली,वर्तमान निवासी-भीखीपुर, थाना-अटरिया, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल,तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149,436, 440,307,452 के अन्तर्गत चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19.06-2017 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल,तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरत, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दयाल पुत्र श्री बोधे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in